रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-20042026-271933
CG-DL-E-20042026-271933

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 272]	नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 20, 2026/चैत्र 30, 1948
No. 272]	NEW DELHI, MONDAY, APRIL 20, 2026/CHAITRA 30, 1948

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 अप्रैल, 2026

सा.का.नि. 296(अ).— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन [औषधि नियंत्रक (भारत)] भर्ती नियम, 2011 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन में, 'औषधि नियंत्रक (भारत)' के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्: -

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ –** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन, औषधि नियंत्रक (भारत), समूह ‘क’ पद भर्ती नियम, 2026 है।

   (2) ये सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को लागू होंगे।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर – उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में उसका स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट है।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि – उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता– कोई व्यक्ति, -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए, किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति के लिए पात्र होगा:

परंतु, यदि केंद्रीय सरकार का समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति – जहाँ केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत में, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति – इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या।	वर्गीकरण।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर।
(1)	(2)	(3)	(4)
औषधि नियंत्रक (भारत)	1* (2026) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-14 (144200-218200 रुपये)

चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा।
(5)	(6)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षणिक और अन्य अर्हताएं।	क्या सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षणिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।
(7)	(8)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।	प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में, वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।
(9)	(10)	(11)
लागू नहीं होता।	प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा है)।	प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा है)। केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन, स्वायत्त निकाय, कानूनी संगठन, पब्लिक सेक्टर उपक्रम, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों के अधिकारी: (क) (i) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हों; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-13 क (131100-216600 रुपये) में या समतुल्य में पद पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् दो वर्ष की सेवा पूरी की हो; या (iii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-13 (123100-215900 रुपये) में या समतुल्य में पद पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् तीन वर्ष की सेवा पूरी की हो; या (iv) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-12 (78800-209200 रुपये) में या समतुल्य में पद पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् आठ वर्ष की सेवा की हो; और (ख) निम्नलिखित शैक्षणिक अर्हताएं और अनुभव हो, अर्थात्:- (i) आवश्यक अर्हताएं:

		(क) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से जैव-चिकित्सा इंजीनियरी या रासायनिक इंजीनियरी या जैव-प्रौद्योगिकी या यांत्रिक इंजीनियरी या विद्युत इंजीनियरी या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरी या उपकरण इंजीनियरी या पॉलिमर इंजीनियरी या कंप्यूटर विज्ञान इंजीनियरी या चिकित्सा इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरी या भेषजी या भेषजीय इंजीनियरी या भेषजीय विज्ञान या जैव-रसायन विज्ञान या रसायन विज्ञान या जीवन विज्ञान या नैदानिक औषध विज्ञान में विशेषज्ञता के साथ चिकित्सा या सूक्ष्म जीव विज्ञान में विशेषज्ञता सहित चिकित्सा में मास्टर डिग्री; और (ख) दवाओं या चिकित्सा युक्तियों के विनिर्माण या परीक्षण या विनियमन या नैदानिक परीक्षण या नैदानिक जांच में पंद्रह वर्ष का अनुभव या औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 (1940 का 23) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों का प्रवर्तन। (ii) वांछनीय: उपरोक्त (क) में विनिर्दिष्ट सुसंगत क्षेत्रों में दर्शन शास्त्र में डॉक्टरेट वचस्पति । **टिप्पण 1:** प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पकालिक संविदा सहित), जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से तुरंत पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) की अवधि है, साधारणतया पाँच वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 2:** प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तारीख तक 58 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना
(12)
लागू नहीं होता।

भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(13)
संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

[फा. सं. प्रशासन-12011(12)/3/2025-ईऑफिस]

हर्ष मंगला, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th April, 2026

G.S.R. 296(E).— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Central Drugs Standard Control Organisation [Drugs Controller (India)] Recruitment Rules, 2011 in the Directorate General of Health Services, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Drugs Controller (India), in the Central Drugs Standard Control Organisation, Directorate General of Health Services under the Ministry of Health and Family Welfare, namely: -

1. Short title and commencement. – (1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, Central Drugs Standard Control Organisation, Drugs Controller (India), Group 'A' Post, Recruitment Rules, 2026.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and level in pay matrix.- The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.– The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification. – No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax. – Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.– Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, other backward classes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of post.	Classification.	Level in pay matrix.
(1)	(2)	(3)	(4)
Drugs Controller (India).	1* (2026) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial.	Level-14 in the pay matrix (Rs.144200-218200).

Whether selection post or non-selection post.	Age-limit for direct recruits.
(5)	(6)
Not applicable.	Not applicable.

Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.
(7)	(8)
Not applicable.	Not applicable.

Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or by deputation/ absorption, grades from which promotion or deputation /absorption to be made.
(9)	(10)	(11)
Not applicable.	By deputation (including short-term contract).	Deputation (including short-term contract): Officers of the Central Government or State Government or Union territory Administration or autonomous body or statutory organisation or public sector undertakings or recognised University or recognised research institution,- (a) (i) holding analogous posts on a regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with two years service rendered after appointment to the post on a regular basis in level – 13 A in the pay matrix (Rs. 131100-216600) or equivalent in the parent cadre or department; or (iii) with three years service rendered after appointment to the post on a regular basis in level – 13 in the pay matrix (Rs.123100-215900) or equivalent in the parent cadre or department; or (iv) with eight years service rendered after appointment to the post on a regular basis in level – 12 in the pay matrix (Rs. 78800-209200) or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing the following educational qualifications and experience, namely:- (i) Essential qualifications: (A) Master's degree in Bio-Medical Engineering or Chemical Engineering or Bio-Technology or Mechanical Engineering or Electrical Engineering or Electronics Engineering or Instrumentation Engineering or Polymer Engineering or Computer Science Engineering or Medical Electronics Engineering or Pharmacy or Pharmaceutical

		Engineering or Pharmaceutical Sciences or Bio- Chemistry or Chemistry or Life Sciences or Medicine with specialisation in Clinical Pharmacology or Medicine with specialisation in Microbiology from a recognised University or institute; and (B) fifteen years experience in manufacturing or testing or regulation or clinical trials or clinical investigations either in drugs or medical devices or enforcement of the provisions of the Drugs and Cosmetics Act, 1940 (23 of 1940) and rules made thereunder. (ii) Desirable: Doctor of Philosophy in relevant fields as specified in (A) above. **Note 1:** The period of deputation (including short-term contract) including the period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed five years. **Note 2:** The maximum age-limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceeding fifty-eight years as on the closing date of receipt of applications.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.
(12)
Not applicable.

Circumstances in which Union Public Services Commission is to be consulted in making recruitment.				
(13)				
Consultation with the Union Public Service Commission is necessary.				

[F. No. Admin-12011(12)/3/2025-e office]

HARSH MANGLA, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2026.04.20 22:31:03 +05'30'